राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), बून्दी

कार्यालय जिला रसद अधिकारी बून्दी (राज.)

क्रमांक :–रसद / एफपीएस / 2022–2023 / 201 दिनांक :– 01.02.2023

विज्ञप्ति

खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु जारी दिशा–निर्देश दिनांक 17.3.2016 एंव उचित मूल्य दुकानों की नियुक्ति में आरक्षण व्यवस्था लागू करने संबंधी पत्र दिनांक 25.11.2020 की पालना में बून्दी जिले में रिक्त 19 उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र आवेदक / संस्था से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 (1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :–

नगरपरिषद् क्षेत्र बून्दीः–

क्र. स.	वार्ड / ग्राम पंचायत	उचित मूल्य दुकान का प्रस्तावित स्थल	आरक्षण का विवरण	रिक्त / नवसृजित
1.	नगरपरिषद् बून्दी	वार्ड नं. 12,16,17	अनारक्षित	रिक्त
2.	नगरपरिषद् बून्दी	वार्ड नं. 32,37	महिला आरक्षित	रिक्त
3.	नगरपरिषद् बून्दी	वार्ड नं. 48	अनारक्षित	रिक्त
4.	नगरपरिषद् बून्दी	वार्ड नं. 36	अनारक्षित	रिक्त

पंचायत समिति बून्दीः–

क्र. स.	वार्ड / ग्रामपंचायत	उचित मूल्य दुकान का प्रस्तावित स्थल	आरक्षण का विवरण	रिक्त / नवसृजित
1.	पंचायत समिति बून्दी	ग्राम पं. गुढानाथावतान	अनारक्षित	रिक्त
2.	पंचायत समिति बून्दी	ग्राम पं. जावटी कलॉ तहसील बून्दी	अनारक्षित	रिक्त
3.	पंचायत समिति बून्दी	ग्राम पं. नीम का खेड़ा तह.बून्दी	महिला आरक्षित	रिक्त

उपखण्ड के.पाटन ,पंचायत समिति के.पाटन

क्र. स.	वार्ड / ग्रामपंचायत	उचित मूल्य दुकान का प्रस्तावित स्थल	आरक्षण का विवरण	रिक्त / नव सृजित
1.	पंचायत समिति के.पाटन	ग्राम पं. चड़ी	महिला आरक्षित	रिक्त
2.	पंचायत समिति के.पाटन	ग्राम पं. गेण्डोली खुर्द	महिला आरक्षित	रिक्त
3.	पंचायत समिति के.पाटन	ग्राम पं. चितावा	अनारक्षित	रिक्त
4.	पंचायत समिति के.पाटन	ग्राम पं. लेसरदा	अनारक्षित	रिक्त
5.	पंचायत समिति के.पाटन	ग्राम पं. चितावा	अनारक्षित	रिक्त
6.	पंचायत समिति के.पाटन	ग्राम पं. मेनोली	अनारक्षित	रिक्त

कार्यालय जिला रसद अधिकारी बून्दी (राज.)

उपखण्ड लाखेरी, पंचायत समिति के.पाटन

क. स.	वार्ड / ग्रामपंचायत	उचित मूल्य दुकान का प्रस्तावित स्थल	आरक्षण का विवरण	रिक्त / नवसृजित
1.	पंचायत समिति के.पाटन	ग्राम पं. बडाखेड़ा तहसील इन्द्रगढ़	अनारक्षित	रिक्त
2.	पंचायत समिति के.पाटन	ग्राम पं. देईखेड़ा तहसील .इन्द्रगढ	महिला आरक्षित	रिक्त

पंचायत समिति तालेडा

क. स.	वार्ड / ग्रामपंचायत	उचित मूल्य दुकान का प्रस्तावित स्थल	आरक्षण का विवरण	रिक्त / नवसृजित
1.	पंचायत समिति तालेडा	ग्राम पं. बाजड	अनारक्षित	रिक्त
2.	पंचायत समिति तालेडा	ग्राम पं. लीलेडा व्यासान	अनारक्षित	रिक्त
3.	पंचायत समिति तालेडा	ग्राम पं. सीन्ता	अनारक्षित	रिक्त
4.	पंचायत समिति तालेडा	ग्राम पं. बडून्दा	महिला आरक्षित	रिक्त

योग्यताः–

1. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्ड में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए।

   ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान के मामलों में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है जिस पंचायत में उचित मूल्य की दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरियता उसी वार्ड के निवासी को दी जाएगी जिसमें उचित मूल्य की दुकान स्थित है।
2. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक एंव कम्प्यूटर में Rajasthan knowledge corporation limited (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। यदि उचित मूल्य की दुकानों के आवेदकों मे कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नही रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वी कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को भी आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह घोषणा भी ली जावेगी कि वह चयनित होने की

कार्यालय जिला रसद अधिकारी बून्दी (राज.)

06 माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा। ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार–पत्र दिया जावेगा।

3. आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित माप दण्ड पूर्ण करने होंगे। यदि आवेदक पहले से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों के पूर्ण करता है तो उस की पुष्टि में दुकान का नक्शा–स्वामित्व–किराया नामा आदि से संबधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें, जो आवेदक आवेदन के समय अन्न पूर्णा भण्डार के मापदण्डों के पूर्ण नही करते हे उन्हे 06 माह मे माप दण्डों पूर्ण किए जाने का घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि घोषणा–पत्र के अनुसार प्राधिकृत होने पर माप दण्ड पूर्ण नही किए जाते है तो प्राधिकार–पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
4. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित 02 से अधिक संतान नही होनी चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात 02 से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नही होगा। उचित मूल्य दुकान आंवटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी सन्तान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चात वर्ती किसी एकल प्रसव के एक से अधिक संताने पेदा हो जाती है तो संतानो की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानो को एक इकाई ही समझा जावेगा।
5. एक ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को एक उचित मूल्य की दुकान के लिए ही प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकेगा। जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों/लेम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा पूर्व में उचित मूल्य दुकान के लिए प्राधिकार पत्र प्राप्त किया है वह आवेदन हेतु पात्र नही होगा।

<u>आवेदन का तरीकाः–</u>

1. आवेदन पत्र दिनांक 02.02.2023 से 24.02.2023 तक कार्यालय समय में जिला रसद कार्यालय बून्दी से प्राप्त किए जा सकेंगे एव भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 27.02.2023 को सांय 06.00 बजे तक जिला रसद कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकेगें।

2. आवेदन पत्र का मूल्य 100 रूपये निर्धारित किया गया है जो भारतीय पोस्टल आर्डर (IPO) के द्वारा जमा करवाया जा सकेगा। किसी अन्य स्थान यथा टाइपिस्ट, नोटरी, बुक स्टॉल से प्राप्त किए गए आवेदन पत्र स्वीकार नही किए जावेंगे।

<u>आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजः–</u>

1. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।
2. आरकेसीएल (आरएस–सीआईटी) कम्प्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र। उक्त प्रमाण पत्र नही होने की स्थिति में शपथ पत्र संलग्न करना होगा जिसमें यह उल्लेख होगा कि दुकान आवंटन होने के 06 माह के भीतर आरकेसीएल (आरएस–सीआईटी) का 03 माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
3. आवेदन सहकारी समिति/महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम पंचायत होने की स्थिति में उसके प्रबंधक/सचिव की शैक्षणिक योग्यता/कम्प्यूटर दक्षता संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
4. आवेदक सहकारी समिति/महिला स्वंय सहायता समूह/ग्राम पंचायत होने की स्थिति में संबंधित बोर्ड की अभिशंषा का पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. निजी आवेदकों के लिए 01 लाख रूपये का हैसियत प्रमाण–पत्र जो संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी किया जाएगा।
6. महिला स्वंय सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25 हजार रूपये होने संबंधी प्रमाण–पत्र की प्रति।
7. प्रस्तावित दुकान का नक्शा दो प्रतियों में।
8. निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र। (प्रारूप आवेदन पत्र के साथ संलग्न है)
9. मूल निवास प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।
10. जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
11. आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति।
12. राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति।
13. मतदाता परिचय पत्र की प्रमाणित प्रति।

14. पासपोर्ट साईज के 03 नवीनतम फॉटो जिनमें एक आवेदन पत्र पर चस्पा किया जायेगा एवं दो संलग्न किये जायेंगे।

चयन प्रक्रिया एवं प्राथमिकता :—

महिला आरक्षित स्थानो के लिए महिला आवेदक ही पात्र होगा । अनारक्षित (सामान्य) स्थानों में चयन करने में प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा :—

प्रथम वरीयता :—

1. ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है।
2. महिला स्वंय सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्तहै। आवेदक महिला स्वंय सहायता समूह को 03 वर्ष का कार्यानुभव हो।
3. ग्राम पंचायत/निगमित निकाय।

द्वितीय वरीयता :—

1. बेरोजगार (I) निःशक्तजन

(II) महिलाए –

(क) शहीद की विधवा (ख) विधवा (ग) परित्यक्ता

2. भूतपूर्व सैनिक।

3. अन्य पात्र बेरोजगार।

नोट :—आरक्षित श्रेणी की उचित मूल्य दुकानों के लिए चयन का आधार द्वितीय वरीयता के अनुसार होगा। यदि किसी उचित मूल्य की दुकान के लिए एक ही आवेदन प्राप्त होता है तो उसे प्राधिकार—पत्र जारी किया जा सकेगा। 2 या 2 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जावेगी।

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्र क्रमांक एफ 17 (1) खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा—निर्देश एंव उचित मूल्य दुकानों की नियुक्ति में आरक्षण व्यवस्था लागू करने संबंधी पत्र दिनांक 25.11.2020 में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जानी है। दिनांक 17.03.2016 के दिशा—निर्देश, दिनांक 25.11.2020 के पत्र तथा रिक्त उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला रसद कार्यालय बून्दी और विभागीय वैबसाइट www.food.rajasthan.gov.in एवं जिलें की वेबसाईट से प्राप्त की जा सकतीहै।

नोट :–उचित मूल्य दुकानों की संख्या में कमी/वृद्धि/निरस्त या स्थान परिवर्तन आदि करने के लिए कार्यालय सक्षम होगा।

उक्त विज्ञप्ति में दुकानों का आवंटन/नियुक्ति विभिन्न अपीलीय/न्यायिक न्यायालयों के निर्णयों के अध्याधीन होगा।

जिला कलक्टर (रसद)
बून्दी

क्रमांक :–रसद/एफपीएस/2022–2023/202-211 दिनांक :–01.02.2023

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान अति0 मुख्य सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर।
2. श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर।
3. श्रीमान उपायुक्त एवं उप शासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर।
4. एस.सी.पी. खाद्य विभाग जयपुर उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर www.food.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।
5. माननीय सांसद जिला बून्दी।
6. माननीय विधायक महोदय बून्दी/के.पाटन/हिण्डोली–नैनवां।
7. उपखण्ड अधिकारी बून्दी/तालेडा/हिण्डोली/नैनवां/लाखेरी/के.पाटन।
8. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी को बून्दी के स्थानीय समाचार पत्रो मे निशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
9. प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक कार्यालय हाजा।
10. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट बून्दी,

जिला रसद अधिकारी
बून्दी

\Desktop\New fps 2023.docx